UPUN010031012026

Bail Application/1289/2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–2, उन्नाव

1. मंगू अली पुत्र माजिद अली निवासी ग्राम सकहन मुसलमानान थाना सफीपुर जिला उन्नाव।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी.जी.सी. क्रिमिनल महोदय उन्नाव।

2. शिव देवी पत्नी सुरेश निवासिनी ग्राम सकहन मुसलमाननान थाना सफीपुर जिला उन्नाव।

.....विपक्षीगण

मु.अ.सं.- 508/2025
धारा-352, 351(3) बी.एन.एस.
धारा- 3(2)5 ए एस.सी.एस.टी.एक्ट
थाना सफीपुर, जिला उन्नाव।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक- 30.06.2026

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त मंगू अली की ओर से मु.अ.सं.-508/2025, धारा-352, 351(3) बी.एन.एस., धारा- 3(2)5 ए एस.सी.एस.टी.एक्ट, थाना सफीपुर जिला उन्नाव में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के द्वारा दाखिल शपथ-पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना-पत्र किसी न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में न प्रस्तुत किया गया न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा से भूमि संख्या-985 रकबा 0.0380 हे० स्थित ग्राम सकहन राजपूतान, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव की बाबत कब्जे को लेकर सलमान अली व मंगू से मुकदमा तहसील में चल रहा है। दिनांक 15.07.2025 करे समय 11:30 बजे मंगू पुत्र माजिद अली, सलमान अली पुत्र मंगू निवासी ग्राम सकहन मुसलमानान, थाना सफीपुर, जिला उन्नाव के द्वारा वादिनी के घर में घुस कर माँ बहन की गन्दी गन्दी गालियाँ देना व जान से मार देने व जाति सूचक गालियाँ देना गालियाँ तथा बीच बचाव करने आई कान्ती देवी पत्नी मुकेश को भी लात घूसो से मारना पीटना व जान से मार देने की धमकी देने के बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० का न्यायालय श्रीमान् ए०एस० जे० द्वितीय स्पेशल जज एस०सी०/एस०टी०एक्ट महोदय, उन्नाव में दिया गया। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 07.11.2025 के अनुपालन में थाना सफीपुर, जिला उन्नाव में अंकित किया गया।

प्रार्थिनी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आधार जमानत में कथन किया है कि उपरोक्त पत्रावली न्यायालय श्रीमान् ए०एस०जे० द्वितीय स्पेशल जज एस०सी०/एस०टी० एक्ट महोदय, उन्नाव की अदालत में विचाराधीन है। प्रार्थी एक सीधा सादा कानून को मानने वाला व्यक्ति है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है, और

प्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में घटना दिनांक 15.07.2025 को समय करीब 11:30 बजे की है, जब कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.11.2025 को पंजीकृत हुई है, जो बहुत विलम्ब से सोंच समझ कर बड़ी चालाकी से पंजीकृत कराई गई है। वादी मुकदमा के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का समय 11:30 बजे का होना लिखाया गया है। जब कि पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में घटना का समय 11:00 बजे बताया गया है। वादिनी मुकदमा के दोनो कथनो में विरोधा भाष है। पर्चा नं0-5 में पीड़िता के पति सुरेश पुत्र शिवलाल ने सख्तमानव मंगू व क्षेत्रीय लेखपाल के साथ घर नापने की बात कही है. जब कि पीड़िता ने केवल सलमान अली, सादाब व मंगू को घर में घुस कर मारने पीटने की बात कही है। इस तरह वादिनी व वादिनी के पति सुरेश के बयानो में विरोधाभाष है। दोनो के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते है। इस तरह से पूरी घटना ही झूठी व मनगढंत है। पर्चा नं0-5 में गवाह कान्ती पत्नी मुकेश जो पीड़िता के बेटे मुकेश की पत्नी है के द्वारा भी सलमान, मंगू व क्षेत्रीय लेखपाल के साथ नाप करने की बात कही गई है जो पीड़िता के बयान से मेल नहीं करती है, इस तरह से पीड़िता के द्वारा जो घटना दिखाई गई है वह झूठी व मनगढंत है। पर्चा नं0-6 में क्षेत्रीय लेखपाल अंकित कुमार पुत्र जियालाल के द्वारा कहा गया कि मैं आई०जी०आर०एस० प्रार्थना पत्र संदर्भ संख्या-40015625035988 सुरेश, रमेश पुत्रगण शिवपाल निवासी उपरोक्त के मकान, खलिहान में बने होने के सम्बन्ध में ग्राम सकहन मुसलमानान दिनाक 15.07.2025 को समय करीब 10:00 बजे गया था। आवेदक सलमान अली पुत्र मंगू को जरिये मोबाइल सूचना देकर बुलाया गया था इसके बाद सलमान अली अपने घर चला गया था वहाँ पर मेरी मौजूदगी में कोई भी विवाद नहीं हुआ। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान के आधार पर वादी मुकदमा व वादी मुकदमा के पति सुरेश व उसकी बहू कान्ती के बयानो से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सलमान अली व मंगू के द्वारा कोई विवाद हुआ ही नहीं है, और वादिनी के द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध झूठा व बनावटी तथ्यो के आधार पर मुकदमा दिया गया है। जब कि प्रार्थी निर्दोष है। मुकदमा उपरोक्त में पर्चा सं0-1 दौरान विवेचना पीड़िता शिव देवी पत्नी सुरेश व पर्चा सं0-5 दिनांकित 18.11.2025 में पीड़िता के पति सुरेश पुत्र शिवपाल व पीड़िता की बहू कान्ती पत्नी मुकेश व पर्चा सं0-6 दिनांकित 22.11.2025 के कथनो में भिन्नता है। मुकदमा उपरोक्त माननीय न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया जा चुका है तथा विचाराधीन है। मुकदमा उपरोक्त में घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी अपने आप को न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण कर दौरान मुकदमा अपनी जमानत करा लेना चाहता है। प्रार्थी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। सह अभियुक्त मंगू अली पुत्र माजिद अली निवासी ग्राम सकहन मुसलमानान, थाना सफीपुर, जिला उन्नाव को श्रीमान् जी द्वारा दिनांक 13.05.2026 को अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया है। प्रार्थी भी जमानत पाने का पात्र है। प्रार्थी का कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया गया है और ना ही विचाराधीन है और ना ही खारिज हुआ है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी जमानत पर छूटने के पश्चात न तो कहीं भागेगा और न ही गवाहान सबूत पर कोई बेजा असर डालेगा तथा तारीख पेशी पर बराबर उपस्थित आता रहेगा और न्यायालय श्रीमान् जी के आदेशो व निर्देशो का पूर्ण रूपेण पालन करेगा। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

वादिनी पर नोटिस तामील है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से जमानत प्रार्थऩा पत्र का विरोध किया गया है तथा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। यद्यपि अभियुक्त दिनांक 13.05.2026 से अंतरिम जमानत पर हैं तथा दौरान अंतरिम जमानत इनके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किये जाने का कोई तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है। अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मंगू अली की ओर से मु.अ.सं.- 508/2025, धारा-352, 351(3) बी.एन.एस., धारा- 3(2)5 ए एस.सी.एस.टी.एक्ट, थाना सफीपुर जिला उन्नाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्ता द्वारा 20,000/- (बीस हजार रूपये) का स्वबंध पत्र एवं इसी समान धनराशि की दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दि. 30.06.2026

विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2
उन्नाव।